न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 119/2016 (223 आरटीए) राकेश वगै. बनाम जगदीश वगै.

1 राकेश पुत्र श्री जगदीश,
2 शोभा देवी पुत्री जगदीश,
3 संजू पुत्री जगदीश,
4 बेबी पुत्री जगदीश,
5 संगीता पुत्री जगदीश
6 सुमन पुत्री जगदीश
7 बाया पत्नी श्री जगदीश,
सभी जातियान ब्राह्मण निवासीयान कुंभारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र श्री रामरतन,
2 ओमप्रकाश पुत्र श्री रामरतन,
दोनों जातियान ब्राहमण निवासीयान कुंभारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
3 गीता पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासीयान कुंभारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
4 अर्जुनराम पुत्र श्री भाउराम जाति जाट निवासी भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
5 भूमिधारी जरिए तहसीलदार भोपालगढ़।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़
दिनांक 28.10.2016 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 238/2012

उपस्थित :

1 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा।
2 रेस्पो. सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर हेडाउ।
3 रेस्पो. सं. 1 व 4 बावजूद सूचना के अनपस्थित।
4 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

12/3

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 12.03.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स–वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुंभारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 450 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा आई हुई है। यह भूमि पुश्तैनी भूमि रही है। शुरूआत में वादीगण के दादा रामरतन का नाम खातेदार की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज रहा है। रामरतन का देहांत होने पर राजस्व रिकार्ड में रामरतन के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ओमप्रकाश व जगदीश के नाम रिकार्ड में प्रविष्टि की गई थी। अपीलांट–वादीगण ने अपने वाद में अभिवचन किया कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है और इस भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ है। इस भूमि में वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या–1 को बहला फुसला कर प्रतिवादी सं. 2 ने पहले यह भूमि प्रतिवादी संख्या 4 जाट के नाम करवाई बाद में वही भूमि अपनी पत्नी के नाम करवा दी जिससे साफ जाहिर था कि अपीलांट को उनके हिस्से से मेहरूम करने के लिहाज से ऐसा कागजी बेचाननामा प्रतिवादी सं. 1 से लिखवाया गया। उस बेचाननामा से अपीलांट–वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते हैं वादीगण अपीलांट्स अपने खातेदारी के अधिकारों की घोषणा करवाने एवं अपने हिस्से की भूमि प्राप्त करने के हकदार होने के अभिवचन के साथ दावे में अनुतोष चाहा कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 450 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त रूप से हिस्सेदारी काश्तकार घोषित किया जावे और वाद में दूसरी रिलीफ बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किए जाने की डिक्री पारित किए जाने की गुजारिश की गई है। और अपने वाद में तीसरा अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें जब तक बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक तीसरे पक्ष को अंदर प्रवेश करने और रिकार्ड व मौके की यथास्थिति मं परिवर्तन नहीं करने का अनुतोष चाहा है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट्स ने दिनांक 11.09.2012 को दर्ज दावे का जवाबदावा दिनांक 28.10.2010 तक प्रस्तुत नहीं किया गया जो स्वतः ही बंद हो चुका है। उस परिस्थिति से बचने के लिए प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार के वाद

12/3
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को हासिल है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ ने कानूनी बिंदु पर गौर किए बिना ही दिनांक 28.10.2016 को प्रतिवादी रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर अपीलांट–वादीगण का वाद विधि से बाधित मानते हुए खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। अपील के साथ डिक्री पर्चा की प्रति की छूट दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 20 नियम 6ए (2) सी.पी.सी. के तहत भी पेश किया गया।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वाद पत्र को खारिज करने के लिए वाद पत्र में किए गए अभिवचनों पर ही विचार किया जाना चाहिए। वाद पत्र में किसी बेचान दस्तावेज के निरस्तीकरण के संबंध में न तो अनुतोष चाहा था न ही इस संबंध में कोई निरस्तीरकण चाहा न ही इस संबंध में कोई निरस्तीकरण के बारे में अभिवचन किया गया। अपीलांट्स रेस्पोडेंट्स की ओर से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद पेश किया साथ में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया है। यह तीनों अनुतोष के संबंध में वाद सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को हासिल है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाबदावा चार साल तक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण आदेश 8 नियम 1 सी.पी.सी. के अनुरूप प्रतिवादीगण का जवाब दावा स्वतः ही बंद हो गया। इस लिहाज से आदेश 8 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत वादी का वाद काबिल डिक्री था जो परीक्षण न्यायालय ने नहीं कर भारी भूल की गई है। इसलिए वादी का वाद 8 नियम 10 सीपीसी के तहत डिक्री किया जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित ओदश दिनांक 28.10.2016 को पारित करते वक्त डिक्री की रचना नहीं की गई है। इसलिए डिक्री पर्चा के अभाव में यह अपील प्रस्तुत की गई और डिक्री पर्चा अपील के साथ पेश करने की पूर्ण छूट आदेश 20 नियम 6ए(2) सी. पी.सी. के तहत दी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 20 नियम 6ए(2) सी.पी.सी. स्वीकार कर डिक्री पर्चा अपील के साथ पेश करने से पूर्ण छूट दी जावे।

5 रेस्पो. सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर हेडाउ ने अपनी बहस में

कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत अभिवचनों को देख कर ही यह निर्धारण किया है कि प्रकरण में कोई कॉज ऑफ एक्शन एराइज नहीं हुआ है तथा दावा विधि द्वारा बाधित है। प्रकरण मे यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो. सं. 1 व 2 के पिता की भूमि है अर्थात अपीलांट के दादा (पिता के पिता) की भूमि है। जो हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार रेस्पो. सं. 1 व 2 के नाम खातेदारी में हैं। इस प्रकरण में रेस्पो. सं. 1 व 2 जगदीश व ओमप्रकाश के जीवित रहते हुए दादा की प्रोपर्टी में से अधिकार नहीं मिल सकते। इस कारण इस प्रकरण में कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः प्रकरण वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से तथा हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार पिता के जीवित रहते हुए दादा की प्रोपर्टी में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है इसलिए वाद विधि द्वारा बाधित है। विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को विधि के प्रावधानों के तहत स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। आदेश 7 नियम 11 पेश करने के लिए जवाबदावा पेश करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। रेस्पो. ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2008 देहली 40 व एआईआर 1986 सुप्रीम कोर्ट 1753 पेश किए है।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि दावा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना के द्वारा विधि द्वारा बाधित मानकर खारिज कर दिया गया है, दावा विधि द्वारा बाधित नहीं हैं। जबकि रेस्पो. का कथन है कि दावा विधि द्वारा बाधित है क्योंकि यह उसके अभिवचनों को देखने से ही ज्ञात हो जात है कि पिता के जीवन काल में पुत्रों द्वारा दादा की प्रोपर्टी में से घोषणा व विभाजन का दावा किया है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार केवल प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम ही संपत्ति में अधिकार होता है। उसके जीवित होते हुए बच्चे व पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है। इस संबंध में रेस्पो. के अधिवक्ता ने कानूनी नजीर न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2008 देहली 40 व एआईआर 1986 सुप्रीम कोर्ट 1753 पेश किए है।

हमने रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर का अवलोकन किया है जिसके हैडनोट में अंकित है कि "Hindu Succession Act (30 of 1956), S.8 – Succession in case of males – Properties in question are not joint faimly proprties – grand son will not have any share in property left by grand father during life time of son i.e. their father – reason being, only son of predeceased son has shown as an heir in class 1 of schedule."

12/3

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त नजीर के अनुसार यदि वादग्रस्त भूमि हिन्दू जोइंट फैमिली की नहीं है तो पिता के जीवन काल में पुत्र का दादा की प्रापर्टी मे कोई हिस्सा नहीं होगा। इस प्रकरण में वाद के अनुसार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी व सहदायिगी की संपत्ति है जो जोइंट फैमिली की प्रतीत होती है। रेस्पोडेंट का कथन है कि वाद पत्र में इस भूमि को जोइंट फैमिली की होना अभिवचन में अंकित नहीं किया है अतः यह जोइंट फैमिली की प्रोपर्टी नहीं हैं।

इस प्रकरण में यह तय होना है कि यह भूमि जोंइट फैमिली की है या जोंइंट फैमिली की नहीं है। जो केवल वाद में तनकीयात कायम करके ही बाद साक्ष्य निर्धारित हो सकता है। अतः प्रकरण आदेश 7 नियम 11 के अनुसार विधि द्वारा इस आधार पर बाधित नहीं होता है कि इस प्रकरण में दादा की प्रोपर्टी में पिता के जीवन काल में पुत्र का अधिकार निहित नहीं हैं।

इस प्रकरण में बेचान नामे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल कोर्ट का माना है अतः दावा क्षेत्राधिकार का नहीं होने से विधि द्वारा बाधित मानकर खारिज कर दिया है। पहली बात तो यह है कि दावे के अभिवचनों के अनुसार दावा क्षेत्राधिकार में हैं क्योंकि दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 के तहत किया गया है जिसका अनुतोष केवल राजस्व न्यायालय ही दे सकता है। क्षेत्राधिकार के आधार पर दावा चलने योग्य है या नहीं यह उसके अनुतोष के देखने पर पता चलता है। माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर हमारा मत है कि किसी भी वाद में न्यायालय का क्षेत्राधिकार वाद के सारभूत अभिकथनों व चाहे गए मुख्य अनुतोष के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल इस आधार पर निर्धारित होता है कि अगर वादी का वाद साबित हो जाता है तो चाहा गया अनुतोष देने में न्यायालय सक्षम है या नहीं। हस्तगत प्रकरण में वादी का वाद आधार यह है कि वाद ग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्म से ही अधिकार होने से प्रतिवादी सं. 1 के साथ–साथ 1/2 हिस्से का हक व अधिकार है अतः प्रतिवादी सं. 1 के साथ–साथ 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे। ऐसा वाद अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 अंतर्गत आता है और उक्त अधिनियम की धारा 207 सपठित तृतीय अनुसूची अनुसार ऐसे वाद के विचारण का और चाहे गए अनुतोष देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है।

दूसरा तथ्य यह है कि रेस्पोडेंट्स ने बेचान की गई भूमि को पुनः अपनी पत्नी के नाम से खरीद कर लिया है। प्रारंभ में बेचना फिर उसको खरीद करना इस प्रकरण में बेचान को शून्य होना दर्शाते हैं तथा इसका अंतिम रूप से निर्धारण

12/3
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भी दावे में विचारण के दौरान ही संभव है अतः इस स्टेज पर दावे को आदेश 7 नियम 11 के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसमें जो भी उभयपक्षकारान ने बिदु उठाए हैं उनके संबंध में पृथक से तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य के पश्चात उन्हें सिद्ध करने का अवसर देकर निर्णित किया जाकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। सारांशत : इस न्याययालय के सुविचारित मत अनुसार आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा वादी का दावा क्षेत्राधिकार एवं पोषणीयता के आधार पर खारिज करना एक त्रुटिपूर्ण निर्णय है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय (विचारण न्यायालय) को प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

8 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 28.10.2016 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत (आब्जरवेशन्स) के अनुसार प्रकरण में जवाबदावा लिया जाकर तनकीयात कायम की जावें, उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वाद का निर्णय पुनः गुणावगुण पर किया जावे।

12/3/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर